भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3372

दिनांक 08 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए

बाल विवाह

3372. **श्री अरुण भारतीः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए कानूनों की शुरुआत से लेकर अब तक ऐसे विवाहों की संख्या को कम करने के लिए लागू किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बाल विवाह की रोकथाम के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे की प्रभावकारिता को और बढ़ाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बाल विवाहों को रोकने में सिविल सोसाइटी संगठनों की भूमिका के साथ-साथ इन पहलों के लिए सरकार की सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाल विवाह के बालिका शिक्षा और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कार्यनीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ङ) सरकार विभिन्न राज्यों और समुदायों में बाल विवाहों की संख्या को कम करने में हुई प्रगति की निगरानी/ मूल्यांकन किस प्रकार करना चाहती है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए) बाल विवाह की रोकथाम और उन पर प्रतिबंध लगाने एवं बाल विवाह कराने से जुड़े लोगों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए अधिनियमित किया गया है। पीसीएमए की धारा 16 राज्य सरकार

को पूरे राज्य या उसके निर्दिष्ट भाग के लिए एक अधिकारी या अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है, जिन्हें 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ)' कहा जाएगा, जिनका अधिकार क्षेत्र अधिसूचना में निर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों पर होगा। यह धारा सीएमपीओ द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भी निर्दिष्ट करती है, जिसमें उचित समझे जाने वाले कदम उठाकर बाल विवाह कराने से रोकना; अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्र करना; व्यक्तियों को सलाह देना या स्थानीय निवासियों को बाल विवाह को बढ़ावा देने, सहयोग देने, सहायता करने या अनुमति देने में शामिल न होने के लिए परामर्श देना बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना; और बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाना शामिल है। ये सभी प्राधिकरण संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा, बाल विवाह प्रतिषेध सहित महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों की जाँच और अभियोजन की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों पर है; वे ऐसे अपराधों/ आपराधिक कृत्यों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

पीसीएमए के अधिनियमन के बाद से, देश में बाल विवाह की व्यापकता 2005-06 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-III (एनएफएचएस-III) के 47% से घटकर 2019-21 में आयोजित एनएफएचएस-V में 23.3% हो गई है, जो लगभग आधी रह गई है। इससे पता चलता है कि देश में बाल विवाह की रोकथाम में इस कानून का अहम प्रभाव है।

केंद्र सरकार जागरूकता अभियान, मीडिया अभियान एवं आउटरीच कार्यक्रम चलाती है और इस प्रथा के दुष्प्रभावों को उजागर करने के लिए समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह जारी करती है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सीएमपीओ की संख्या बढ़ाने के लिए भी लिखा है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर वैधानिक अधिकारी की उपस्थिति से इस विषय पर और भी अधिक प्रभावी सार्वजनिक जुड़ाव होता है और बाल विवाह की रोकथाम में वृद्धि होती है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय)एमडब्ल्यूसीडी ('मिशन शक्ति' की व्यापक योजना के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ)बीबीबीपी (घटक को कार्यान्वित करता है, जिसमें लैंगिक समानता से संबंधित मामलों पर जागरूकता पैदा करना एवं बाल विवाह को हतोत्साहित करना एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) इस संबंध में समय-समय पर हितधारकों के साथ जागरूकता कार्यक्रम और परामर्श आयोजित करता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अपने राज्यों और जिला शाखाओं के साथ मिलकर बाल विवाह के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता भी पैदा करता है। नालसा ने वैधानिक

अधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों के समन्वय से बाल विवाह की प्रभावी रोकथाम हेतु अपने कार्यकर्ताओं को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसकी एक समर्पित हेल्पलाइन 15100 भी है जो महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों के निर्दिष्ट वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने शॉर्ट कोड 1098 के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन शुरू की है। यह संकटग्रस्त बच्चों के लिए एक टोल-फ्री 24X7X365 टेलीफोन आपातकालीन आउटरीच सेवा है, जो पुलिस, सीएमपीओ, जिला बाल संरक्षण इकाइयों आदि के समन्वय से बाल विवाह की रोकथाम सहित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उपयुक्त पहल के साथ प्रतिक्रिया करती है। 24x7x365 आपातकालीन प्रतिक्रिया, संसाधन और सेवाएँ प्रदान करने के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन को आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस-112) के साथ भी एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, ईआरएसएस के साथ एकीकृत महिला हेल्पलाइन (181) की सेवाएँ भी आपातकालीन और गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए चौबीसों घंटे उपलब्ध हैं।

केंद्र सरकार ने 27 नवंबर 2024 को 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य भारत को बाल विवाह मुक्त बनाना है। 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण, जिसमें नागरिक समाज संगठन भी शामिल हैं, के माध्यम से 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने के लिए लड़कियों और महिलाओं में शिक्षा, कौशल, उद्यमशीलता और उद्यमिता को बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। इस अभियान के अंतर्गत, बाल विवाह के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने और बाल विवाह की घटनाओं की प्रभावी रिपोर्टिंग एवं रोकथाम हेतु राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहयोग प्रदान करने हेतु एक पोर्टल 'https://stopchildmarriage.wcd.gov.in' शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर नागरिकों को सभी राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियो (सीएमपीओ) के बारे में जानकारी प्रदान करने की सुविधा भी है। इस पोर्टल पर 28,000 से अधिक सीएमपीओ की जानकारी उपलब्ध है, जो आम जनता के लिए सुलभ है।

*****